उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-1837/ग्यारह-2-25-9(42)/17-टी.सी.75-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश-(367)- 2025

लखनऊ; दिनांकः 26 नवम्बर, 2025

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात् :-

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (उनहत्तरवां संशोधन) नियमावली, 2025

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (उनहत्तरवां संशोधन) नियमावली, 2025 कही जायेगी। (2) यह नियमावली तारीख **1** नवंबर, **2025** से प्रवृत्त हुयी समझी जायेगी।
नियम **9** का संशोधन	2.	उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, **2017 (**जिसे आगे ''उक्त नियमावली'' कहा गया है**)** में नियम **9** के पश्चात निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्ः- "**9** क. इलेक्ट्रॉनिक रीति से रजिस्ट्रीकरण प्रदान करना- नियम **9** में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति जिसने नियम **8** या नियम **12** या नियम **17** के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है, उसे डाटा विश्लेषण और जोखिम मापदंड के आधार पर सामान्य पोर्टल पर पहचान होने पर, आवेदन जमा करने की तारीख से तीन कार्य-दिवस के अंदर सामान्य पोर्टल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रीति से रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा।"
नियम **10** का संशोधन	3.	उक्त नियमावली में, नियम **10** के उपनियम **(1)** में, शब्द और अंक "नियम **9** के अधीन, "के पश्चात, शब्द, अंक और अक्षर "नियम **9** क और नियम **14** क, " बढ़ा दिये जायेंगे।
नियम **14** का संशोधन	4.	उक्त नियमावली में, नियम **14** के पश्चात निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्ः- "14क. तय सीमा से कम मासिक निर्गम कर दायित्व वाले

File No. 11-2093(099)/2/2025-कर एवं निबंधन अनुभाग-2-state tax department (Computer No. 1985420)

		करदाताओं के लिए विकल्प:- **(1)** कोई व्यक्ति जिसने नियम **8** के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है और जो यह अवधारित करता है कि उसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय पर केन्द्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर और प्रतिकर उपकर के कारण उसका कुल निर्गम कर दायित्व दो लाख पचास हजार रुपए प्रति माह से अधिक नहीं है, उसे इस नियम के उपबंधों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप से रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने का विकल्प होगा। **(2)** धारा **25** की उपधारा **(6**घ**)** के अधीन अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न कोई भी व्यक्ति, जिसने आधार संख्या के अधिप्रमाणन का विकल्प नहीं चुना है, इस नियम के निबंधन में रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा। **(3)** नियम **11** में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसी स्थायी लेखा संख्यांक से उसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में इस नियम के अधीन दूसरा रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा। **(4)** आधार संख्या के सफल अधिप्रमाणन के पश्चात, उप-नियम **(1)** में निर्दिष्ट आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर सामान्य पोर्टल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा। **(5)** रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उप-नियम **(1)** के अधीन लिए गए विकल्प से प्रत्याहरण करना चाहता है, उसे प्ररूप जीएसटी आरईजी**-32** में, सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित या सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित आवेदन सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से फाइल करना होगा: परन्तु यह कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऐसा आवेदन फाइल करने की अनुज्ञा तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि उसने निम्नलिखित प्रस्तुत न किया हो- (क) कम से कम तीन माह की अवधि के लिए विवरणी, जहां ऐसा आवेदन तारीख **1** अप्रैल, **2026** से पहले फाइल किया गया हो; (ख) कम से कम एक कर अवधि के लिए विवरणी, जहां ऐसा आवेदन तारीख **1** अप्रैल, **2026** को या उसके बाद फाइल किया गया हो; और (ग) रजिस्ट्रीकरण की प्रभावी तारीख से प्रत्याहरण के लिए आवेदन

		की तारीख तक की अवधि के लिए देय समस्त विवरणियाँ: परन्तु यह और कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऐसा आवेदन फाइल करने की अनुज्ञा दी जाएगी जहां ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के विरूद्ध धारा **29** के अधीन कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की गई है।
		(6) जहां इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा प्ररूप जीएसटी आरईजी-**01** में दिए गए विवरण में कोई परिवर्तन होता है, तो उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उप-नियम **(5)** के अधीन प्रत्याहरण के लिए आवेदन फाइल करने से पहले नियम **19** के अधीन विवरण को संशोधित करवाना होगा।
		(7) सामान्य पोर्टल पर डाटा विश्लेषण और जोखिम मापदंडों के आधार पर, आधार संख्या या बायोमीट्रिक-आधारित आधार अधिप्रमाणन से संबंधित नियम **8** के उप-नियम **(4** क**)** के उपबंध, आवेदक की तस्वीर लेने के साथ-साथ प्ररूप जीएसटी आरईजी-**01** में रजिस्ट्रीकरण आवेदन के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों की मूल प्रति का सत्यापन समेत, जहां तक हो सके, उप-नियम **(5)** के अधीन प्रत्याहरण के लिए फाइल किये गए आवेदन पर लागू होंगे।
		(8) अभिस्वीकृति जारी किये जाने से सम्बंधित नियम **8** के उपनियम **(5)** और उपनियम **(6)** के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, उपनियम **(5)** के अधीन फाइल किये गए आवेदन पर लागू होंगे।
		(9) उपनियम **(5)** के अधीन प्रत्याहरण के लिए फाइल किये गए आवेदन का सत्यापन नियम **9** के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
		(10) उप-नियम **(9)** के अधीन सत्यापन के पश्चात, उचित अधिकारी उप-नियम **(1)** के अधीन उपलब्ध विकल्प से प्रत्याहरण के लिए आवेदन को अनुज्ञा देते हुए प्ररूप जीएसटी आरईजी-**33** में आदेश या नियम **9** के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी-**05** में आवेदन को अस्वीकार करने का आदेश, यथास्थिति, जारी करेगा, जो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
		(11) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसे उप-नियम **(10)** के अधीन प्रत्याहरण की अनुज्ञा देने वाला आदेश प्राप्त हुआ है, वह उसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय पर निर्गम कर दायित्व, जोकि उप-नियम **(1)** में यथानिर्दिष्ट निर्गम कर दायित्व से अधिक है, का विवरण प्रस्तुत करने में, उस उत्तरवर्ती महीने के पहले

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>दिन जिसमें उक्त आदेश जारी किया गया है, से सक्षम होगा।

(12) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसे उप-नियम **(10)** के अधीन आदेश जारी किया गया है, निर्गम कर दायित्व के संबंध में दिए गए ब्यौरे में संशोधन नहीं करेगा जिससे कि उस उत्तरवर्ती माह, जिसमें उक्त आदेश जारी किया गया है, के प्रथम दिन से पूर्व की अवधि के लिए निर्गम कर दायित्व उप-नियम **(1)** में विनिर्दिष्ट निर्गम कर दायित्व की सीमा से अधिक हो जाए।

(13) जहाँ प्रत्याहरण आवेदन को फाइल करने के पश्चात उचित अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की कार्यवाही शुरू की गई है और उक्त कार्यवाही लंबित है, उप-नियम **(5)** के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्याहरण आवेदन को उचित अधिकारी द्वारा खारिज कर दिया जाएगा और नियम **9** के उप-नियम **(5)** के अधीन मान्य आधार पर आवेदन के अनुमोदन से संबंधित उपबंध, ऐसे मामले में लागू नहीं होंगे।"</td>
</tr>
<tr>
<td>प्ररूप जीएसटी आरईजी-**01** का संशोधन</td>
<td>5.</td>
<td>उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-**01** में,-

(क) शब्द, अक्षर और अंक, ''प्ररूप जीएसटी आरईजी **-01**'' के पश्चात् और शब्द ''रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन" से पूर्व, कोष्ठक, शब्द और अंक "**[**नियम **8(1)** देखें**]**" के स्थान पर कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर," **[**नियम **8(1)** और **14** क देखें**]**" रख दिये जाएंगे,

(ख) भाग-ख में, सारणी में, क्रम संख्या **4** और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यायें बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात्**:-**

<table>
<tr><td>**"4.1**</td><td>नियम **14** क के अधीन रजिस्ट्रीकरण का विकल्प</td><td>हाँ ☐ नहीं ☐</td></tr>
<tr><td>**4.1.1**</td><td colspan="2">नियम **14** क के अधीन रजिस्ट्रीकरण का विकल्प चुनने वाले व्यक्ति द्वारा घोषणा

☐ मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/ करती हूँ कि पूर्वोक्त कारबार नियम **14** क के अधीन रजिस्ट्रीकरण के विकल्प के लिए अधिनियम या नियमावली में विनिर्दिष्ट शर्तों और निर्बंधनों का पालन करेगा।"; और</td></tr>
</table>

(ग) शीर्षक ''रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश" के अधीन, क्रम संख्या **8** के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या बढ़ा दी जाएगी, अर्थातः-

"8 क. नियम 14 क के अधीन रजिस्ट्रीकरण का विकल्प चुनने वाले</td>
</tr>
</table>

		किसी भी व्यक्ति को आधार संख्या का ओटीपी आधारित अधिप्रमाणन कराना होगा।"
प्ररूप जीएसटी आरईजी-**02** का संशोधन	6.	उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-**02** में, शब्द, अक्षर और अंक, "प्ररूप जीएसटी आरईजी **-02**" के पश्चात्, कोष्ठक, शब्द और अंक, "**[**नियम **8(5)** देखें**]**" के स्थान पर कोष्ठक, शब्द, अक्षर और अंक ''**[**नियम **8(5)** और **14** क देखें**]**'' रख दिये जाएंगे।
प्ररूप जीएसटी आरईजी-**03** का संशोधन	7.	उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी आरईजी **-03** के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रख दिया जाएगा, अर्थात्:- "प्ररूप जीएसटी आरईजी-**03** **[**नियम **9(2), 19(2)** और **14** क देखें**]** संदर्भ संख्या तारीख सेवा में, आवेदक का नाम, पता, जीएसटीआईएन / जीएसटीपी आईडी (यदि उपलब्ध हो), आवेदन संदर्भ संख्या तारीख रजिस्ट्रीकरण/संशोधन/रद्दीकरण/प्रत्याहरण के आवेदन से संबंधित अतिरिक्त जानकारी/स्पष्टीकरण/दस्तावेजों के लिए नोटिस यह आपके एआरएन .... तारीख............... द्वारा फाइल किए गए रजिस्ट्रीकरण /संशोधन/रद्दीकरण/ प्रत्याहरण के लिए आवेदन के संदर्भ में है। विभाग ने आपके आवेदन का परीक्षण किया है और निम्नलिखित कारणों से वह संतुष्ट नहीं है: **1.** **2.** **3.** ☐ आप तारीख.......... तक अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए निदेशित किए जाते हैं। आप एतद्द्वारा तारीख.......... को ....समय पर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने के लिए निदेशित किए जाते हैं। यदि निर्धारित तारीख तक कोई जवाब नहीं आता है या आपके विरुद्ध धारा **29** के अधीन कार्यवाही आरंभ की जाती है, तो आपका आवेदन

		अस्वीकृत किया जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि इस मामले में कोई और नोटिस/अनुस्मारक जारी नहीं किया जाएगा। हस्ताक्षर उचित अधिकारी का नाम पद नाम अधिकारिता *नए रजिस्ट्रीकरण आवेदन और प्रत्याहरण के लिए लागू नहीं।"
प्ररूप जीएसटी आरईजी-**04** का संशोधन	8.	उक्त नियमावली में**,** प्ररूप जीएसटी आरईजी**-04** के स्थान पर**,** निम्नलिखित प्ररूप रख दिया जाएगा**,** अर्थात्**:-** "प्ररूप जीएसटी आरईजी**-04** **[**नियम **9(2), 19(3)** और **14** क देखें**]** रजिस्ट्रीकरण/संशोधन/रद्दीकरण/ प्रत्याहरण के लिए स्पष्टीकरण/अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेज

1.	नोटिस के ब्यौरे	संदर्भ संख्या		तारीख	
2	आवेदन के ब्यौरे	संदर्भ संख्या		तारीख	
3	जीएसटीआईएन / जीएसटीपी आईडी यदि लागू हो				
4	कारबार का नाम**(**विधिक**)**				
5	व्यापार का नाम**,**यदि कोई हो				
6	पता				
7	क्या रजिस्ट्रीकरण या फील्ड के लिए आवेदन में कोई उपांतरण अपेक्षित है				हाँ ☐ नहीं ☐ **(**एक पर निशान लगाएं**)**

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>8</td><td>अतिरिक्त जानकारी</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>9</td><td>अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td>सत्यापन</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">मैं .... एतद्द्वारा सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषित करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और उसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।
प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर नाम पद नाम / प्रास्थिति
स्थानः
तारीखः</td></tr>
</table>
टिप्पणीं:-
1 नए रजिस्ट्रीकरण के लिए, मूल रजिस्ट्रीकरण आवेदन संपादन मोड में उपलब्ध रहेगा यदि मद 7 में विकल्प 'हाँ' चुना गया है।
2. रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों के संशोधन के लिए संशोधन किये जाने हेतु आशायित फील्ड संपादन मोड में उपलब्ध रहेगी, यदि मद 7 में विकल्प हाँ चुना गया है।
3. नियम 14 क के अधीन लिए गए विकल्प से प्रत्याहरण के लिए मद निष्क्रिय 7 होगी।"
</td>
</tr>
<tr>
<td>प्ररूप जीएसटी आरईजी-05 का संशोधन</td>
<td>9.</td>
<td>उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-05 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रख दिया जाएगा, अर्थात्ः.

प्ररूप जीएसटी आरईजी-05
[नियम 9(4), 19(4), 23 (2) (ख) और 14 क देखें)
संदर्भ संख्या

सेवा में,
आवेदक का नाम,
पता,
जीएसटीआईएन । जीएसटीपी आईडी (यदि उपलब्ध हो),

रजिस्ट्रीकरण/संशोधन/रद्दीकरण/ प्रत्याहरण के लिए</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>आवेदन की अस्वीकृति का आदेश

यह आपके एआरएन................. तारीख....................... द्वारा फाइल किए गए जवाब के संदर्भ में है। आपके जवाब का परीक्षण कर लिया गया है और निम्नलिखित कारणों से वह संतोषजनक नहीं पाया गया है:

1.

2.

3.

.... इसलिए आपका आवेदन अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अस्वीकृत किया जाता है।

या
आपने संदर्भ संख्या.................तारीख............ द्वारा जारी नोटिस का जवाब उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं दिया है। अतएव आपका आवेदन अधिनियम के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा अस्वीकृत किया जाता है।

हस्ताक्षर
नाम
पद नाम
अधिकारिता"</td></tr>
<tr><td>प्ररूप जीएसटी आरईजी-**32** और प्ररूप जीएसटी आरईजी-**33** का बढ़ाया जाना</td><td>10.</td><td>उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-**31** के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्ः -

‘‘प्ररूप जीएसटी आरईजी -**32**
[नियम **14** क **(5)** देखें।

प्रत्याहरण के लिए आवेदन
<table>
<tr><td>**1.** जीएसटीआईएन</td><td></td></tr>
<tr><td>**2.** विधिक नाम</td><td></td></tr>
<tr><td>**3.** व्यापार का नाम, यदि कोई है</td><td></td></tr>
<tr><td>**4.** कारबार के मूल स्थान का पता</td><td></td></tr>
<tr><td>**5.** नियम **14** क के अधीन रजिस्ट्रीकरण का विकल्प</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

File No. 11-2003(099)/2/2025-कर एवं निबंधन अनुभाग-2-state tax department (Computer No. 1985420)
Generated from eOffice by कमल सरोज, RO(KS)-RAJYAKAR, समीक्षा अधिकारी, राज्य कर विभाग on 26/11/2025 06:44 PM

(i) हाँ	☐
(ii) नहीं **6.** आधार अधिप्रमाणन	☐
(i) प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (स्वतः)	
(ii) प्रमोटर/भागीदार (स्वतः)	
7. प्रत्याहण का कारण	**(i)** रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को किए गए प्रदाय से संबंधित निर्गम कर दायित्व दो लाख पचास हजार रुपए प्रति माह से अधिक है। **(ii)** अन्य कृपया विनिर्दिष्ट करें

8. सत्यापन

मैं **....................**एतद्‌द्वारा सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषित करता हूँ कि मैं नियम **14** क के उप-नियम **(1)** के अधीन लिए गए विकल्प से प्रत्याहरण करना चाहता/चाहती हूँ और मैं समझता/समझती हूँ कि आवेदन के सत्यापन और कारबार के स्थानों के भौतिक सत्यापन एवं सह प्रत्यर्थी प्रक्रियाओं तथा समयावधि से सम्बंधित नियम **8** के उप-नियम **(4** क**)**, उप-नियम **(5)** और उप-नियम **(6)** के उपबंध तथा नियम **9** के उपबंध मेरे प्रत्याहरण आवेदन पर लागू होंगे।

प्राधिकृत
हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर
नाम
पद नाम / प्रास्थिति

स्थान
तारीख

प्रत्याहरण के लिए आवेदन को प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश

1. 'नियम **14** क के अधीन रजिस्ट्रीकरण के विकल्प' फील्ड में**,** सामान्य पोर्टल पर हाँ का विकल्प निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

2. स्थायी लेखा संख्यांक को आयकर डेटाबेस के साथ सत्यापित किया जाएगा।

3. प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरी और एक चयनित प्रमोटर या भागीदार का आधार अधिप्रमाणन अनिवार्य है।

		4. नियम **14** क के अधीन लिए गए विकल्प से प्रत्याहरण के लिए आवेदन करने से पहले**,** आवेदन की तारीख तक सभी लंबित विवरणियाँ प्रस्तुत की जायेंगी। जहां ऐसा आवेदन **1** अप्रैल**, 2026** से पहले फाइल किया गया हो**,** न्यूनतम तीन माह की अवधि के लिए**,** और**,** जहां ऐसा आवेदन **1** अप्रैल**, 2026** को या उसके बाद फाइल किया गया हो**,** न्यूनतम एक कर अवधि के लिए**,** विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। **5.** कृपया सुनिश्चित करें कि प्ररूप जीएसटी आरईजी**-32** फाइल करने के समय कोई संशोधन आवेदन लंबित नहीं है। **6.** एक बार प्ररूप जीएसटी आरईजी**-32** फाइल करने के पश्चात**,** किसी भी संशोधन आवेदन को अनुज्ञा**,** प्ररूप जीएसटी आरईजी**-32** के अधीन आवेदन के निस्तारण तक**,** नहीं दी जाएगी। **7.** एआरएन केवल प्ररूप जीएसटी आरईजी**-01** में आवेदन के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों की मूल प्रति के सत्यापन के साथ**,** आधार संख्या के सफलतापूर्वक ओटीपी आधारित अधिप्रमाणन या बायोमीट्रिक आधारित आधार अधिप्रमाणन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् ही जनरेट किया जायेगा। **8.** कृपया ध्यान दें कि एक बार प्ररूप जीएसटी आरईजी**-32** फाइल करने के पश्चात् आवेदन के निस्तारण तक रद्दीकरण आवेदन फाइल करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी। **9.** यदि धारा **29** के अधीन कार्यवाही आरंभ की जा चुकी है**,** तो प्ररूप जीएसटी आरईजी**-32** में प्रत्याहरण का आवेदन फाइल करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।
		प्ररूप जीएसटी आरईजी **-33** **[**नियम **14** क **(10)** देखें**]** संदर्भ संख्या तारीख सेवा में**,** **(**नाम**)** **(**पता**)** रजिस्ट्रीकरण संख्या **(**जीएसटीआईएन**),** आवेदन संदर्भ संख्या**(**एआरएन**)** तारीख

		नियम **14** क के उपनियम **(1)** के अधीन लिए गए विकल्प से प्रत्याहरण का आदेश इसका संदर्भ आपके आवेदन संख्या **............**तारीख**............** से है**,** जो नियम **14** क के उप**-**नियम **(1)** के अधीन लिए गए विकल्प से प्रत्याहरण के संबंध में नियम **14** क के उप**-**नियम **(6)** के अधीन प्रस्तुत किया गया था। आपके आवेदन का परीक्षण कर लिया गया है और इसे नियम **14** क के उप**-**नियम **(11)** के उपबंधों के अधीन स्वीकार कर लिया गया है। संशोधित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र आपके डैशबोर्ड पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। हस्ताक्षर नाम पद नाम अधिकारिता तारीख **:** स्थान**:**

आज्ञा से,

Digitally signed by M DEVARAJ
Date: 26-11-2025 14:02:11

(एम० देवराज)
प्रमुख सचिव।